न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 26/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/46

1. भूपाल नन्दा पुत्र वल्लभ भाई नन्दा, निवासी 14 जीबी हाल फलैट नं. 137, विद्या विहार, प्लॉट नं. 5, बाहरी रिंग वेस्ट इन्क्लेव, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, नोर्थ वेस्ट दिल्ली —प्रार्थी

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. गुन्नी देवी पत्नी लेखराम जाति खटीक निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर
3. शीला देवी पत्नी बाबूलाल जाति खटीक निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयगनर —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री लाजपत राय, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गुलशन सेतिया, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2,3
3. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 1

–:: आदेश ::–

दिनांक : 16.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 14 जीबी खाता सं. 68 में दर्ज मु.नं. 39 प.नं. 149/403 कि.नं. 16 ता 25 व मु.नं. 19 प.नं. 150/402 कि.नं. 12 ता 20, 24/1, 25/1 कुल 5.061है. कमाण्ड भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि चक 14 जीबी मु.नं. 19 प.नं. 150/402 कि.नं. 1,10,11 में से 2–2 विस्वा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को अपनी भूमि मु.नं. 19 में प्रवेश करने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए यही सबसे छोटा एवं सुगम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी पिछले काफी समय से इसी रास्ता से अपने रकबा में प्रवेश कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा कि.नं. 6 में डिग्गी निर्माण कर रखा है, इसलिए कि.नं. 1,10,11 से ही सुगम रास्ता है। उक्त रास्ते के लिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपनी चिपती भूमि से बदले में भूमि देने को तैयार है। यदि अप्रार्थीगण भूमि का मूल्य लेना चाहे तो मूल्य देने को भी तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 1 एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के उपरान्त दिनांक 16.12.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर 50 रूपये के स्टाम्प पत्र पर सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि रास्ता स्वीकार किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 2, 3 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी पूर्व में काफी लम्बे समय से अन्य रस्ते से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2, 3 के पास पहले से ही बहुत कम मात्रा में कृषि भूमि है अगर उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो बहुत भारी नुकसान होगा। प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने व कृषि उपकरणों, ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने के लिए सुगम रास्ता है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 में अभी किलेजात बंटवारा नहीं हुआ है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

इससे यह तय नहीं हो पाता कि कौनसे किले किस काश्तकार के पास आयेगें और प्रार्थी द्वारा संयुक्त भूमि में से रास्ता लेना चाहता है। भूमि में से रासता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक 757 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग नहीं है यही रास्ता एकमात्र रास्ता है जिसका प्रयोग करके प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश करते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गै.मु. रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि संयुक्त खाता में किलेवाईज विभाजन नहीं हुआ है अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम से पहले से ही बहुत कम भूमि है यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि ओर कम हो जाएगी जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीवियजनगर की रिपोर्ट के अनुसार वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, प्रस्तावित रास्ते में पेड़ इत्यादि नहीं है। किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट भू.अ.नि. एवं मौका नक्शा का अवलोकन किया। भू.अ.नि. द्वारा अपनी रिपोर्ट अंकित किया गया है कि रास्ते की परम आवश्यक्ता है। रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा रास्ता बाबत् की जा रही मागं अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 रास्ता स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रकट की गई है तथा अप्रार्थीगण सं. 2–3 द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है कि अप्रार्थीगण के पास पहले सही कम भूमि है रास्ता स्वीकार करने पर अप्रार्थीगण को नुकसान होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि वे अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की एवज में उतनी ही भूमि देने को तैयार है ऐसे में रास्ता में आई भूमि के बदले भूमि दिए जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर ★

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि चक 14 जीबी प.नं. 150/402 मु.नं. 19 कि.नं. 1–10–11 प्रत्येक में पश्चिमी पासा उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि के समान भूमि अप्रार्थीगण को उनकी भूमि की चिपती भूमि मुआवजा के तौर पर देगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि के समान भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 14 जीबी मु.नं. 19 कि.नं. 12 में से पश्चिमी पासा अप्रार्थीगण की भूमि कि.नं. 11 की चिपती कर, प्रार्थी की खातेदारी में से कम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम [illegible] यथावत हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज कर एवं स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:50 IST
Reason: SelfAttested